



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15 () पंरावि/विधि/न. पा. गठन/ बांसवाडा/ 2018/1450

जयपुर, दिनांक:- 21/8/19

::अधिसूचना::

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15()पंरावि/ विधि/न. पा. गठन/ बांसवाडा/ 2018/1415 दिनांक 20.08.2019 के अनुच्छेद (पेरा) द्वितीय में लिपिकीय त्रुटी से "ग्राम पंचायत बेडवा के सम्पूर्ण क्षेत्र को" पंचायती राज संस्था के क्षेत्राधिकार से पृथक किया जाना अंकित होने से रह गया है।

अतः उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद (पेरा) द्वितीय को इस प्रकार से संशोधित कर पढा जाये:-

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत परतापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को, ग्राम पंचायत गढी के सम्पूर्ण क्षेत्र को, ग्राम पंचायत बेडवा के सम्पूर्ण क्षेत्र को, ग्राम पंचायत भगोरा में से आंशिक भाग (रिको क्षेत्र) के सम्पूर्ण क्षेत्र को एवं ग्राम पंचायत खेरनकापारडा के राजस्व ग्राम नवापादर व मोरडी के सम्पूर्ण क्षेत्र को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार से पृथक किया जाता है।"

आज्ञा से,

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
6. शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर ।
9. जिला कलेक्टर, बांसवाडा ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाडा ।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गढी, जिला-बांसवाडा ।
12. रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त शासन सचिव(विधि)